



सर्वप्रथम राजपत्र

## राजस्थान राजपत्र

## विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

Published by Authority

अग्रहायण 22, शुक्रवार, शाके 1946- दिसम्बर 13, 2024

Agrahayana 22, Friday, Saka 1946- December 13, 2024

## भाग-1(ख)

## महत्वपूर्ण सरकारी आजार्ये।

श्रम विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 13, 2024

संख्या एफ.8(5)(6)न्यू.म.अभि./श्रम/आई.आर./2000/पार्ट/00212 :- चूंकि राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में निम्नलिखित नियोजनों में नियोजित श्रमिकों/कामगारों के संबंध में राजस्थान राज्य के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों को पुनरीक्षण करने के प्रस्ताव अधिसूचना क्रमांक एफ.5(6)न्यू.म.अभि./श्रम/आई.आर./2000/पार्ट/23926 दिनांक 31.08.2023 द्वारा राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग-1 (ख) दिनांक 04.09.2023 में प्रकाशित किये गये थे।

चूंकि उक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में प्राप्त अभ्यावेदन पर राज्य सरकार द्वारा विचार-विमर्श कर लिया गया है।

अतः अब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम, 11 वर्ष 1948) की धारा 5 की उपधारा (2) सप्तित धारा (3) की उपधारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार की पूर्व अधिसूचना दिनांक 28.06.2022 जो राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग-1 (ख) दिनांक 20.07.2022 में प्रकाशित हुई थी, का अधिक्रमण करते हुए राज्य सरकार न्यूनतम वेतन सलाहकार मण्डल से परामर्श करने के पश्चात राजस्थान राज्य में निम्नांकित अनुसूचि "भाग-1 एवं भाग-2" में सम्मिलित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारी के सम्बन्ध में निम्नानुसार मजदूरी की न्यूनतम दरें दिनांक 01.01.2023 से पुनरीक्षित करती है:-

## अनुसूची "भाग-1"

क्र.सं	अनुसूचित नियोजनों के नाम
1	सोप स्टोन फैक्ट्रीज
2	कॉटन जिनिंग तथा प्रेसिंग फैक्ट्रीज
3	ऑटोमोबाइल वर्कशॉप
4	कॉटनडाईग-, प्रिन्टिंग तथा वाशिंगफैक्ट्रीज
5	स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज
6	गोटा किनारी एवं लप्पा संस्थानों में नियोजन
7	वूलन स्पिनिंग एवं वीविंग फैक्ट्रीज
8	पावरलम फैक्ट्रीज
9	प्रिंटिंग प्रेस
10	सिनेमा इण्डस्ट्रीज

11	तेल मिल (मिल ऑयल)
12	इंजीनियरिंग इंपउट्रीज
13	वूल किलनिंग एवं प्रेसिंग फैक्ट्रीज
14	हैण्डलम उद्योग
15	मैकेनिकल शक्ति के बगैर चलने वाले शुगरपानके नियोजन
16	टुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान
17	कॉटन वेस्ट स्पिनिंग फैक्ट्रीज
18	किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन नियोजन
19	सार्वजनिक मोटर परिवहन में नियोजन
20	अभक कर्मान्त में नियोजन (अभक खानों के अतिरिक्त)
21	किसी चावल मिल, आठा मिल या दाल मिल मेनियोजन
22	सड़को के सन्निर्माणया अनुरक्षण या निर्माण संक्रियाओं मेनियोजन
23	सरकारी कार्यालयों में कंटिजेन्सी एण्डवर्क्स में मण्डलों तथा निगम जिसमें आकस्मिक (नियुक्तश्रमिक/कामगार शामिल भी है)
24	विद्युत उत्पादन, वितरण तथा पूर्ति सेसंबंधित नियोजन
25	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मेनियोजित श्रमिक/कामगार
26	सिंचाई विभाग में नियोजित श्रमिक/कामगार
27	सार्वजनिक निर्माण विभाग में नियोजितश्रमिक/कामगार
28	जट पट्टी उद्योग
29	होटल एवं रेस्टोरेन्ट
30	निजी शैक्षणिक संस्थानों में नियोजन
31	निजी चिकित्सालयों एवं नर्सिंग होम्स जो(सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित न हो में) नियोजन।
32	केबल ऑपरेटिंग एवं संबंधित सेवा में नियोजन
33	सीमेन्ट प्रीस्ट्रेज्ज प्रोडक्ट्स उद्योगमें नियोजन
34	कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा एवं अलाइड प्रोडक्ट्सकी मैन्यूफैक्चरिंग में नियोजन
35	कोल्ड स्टोरेज में नियोजन
36	कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं मेनियोजन
37	फैक्ट्री अधिनियम में पंजीकृत सभी कारखानेजो अन्य किसी अनुसूचित नियोजन मेंसमिलित नहीं हो, में नियोजन
38	गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) एवं संस्थाओं में नियोजन
39	खादी, हैण्डीक्राफ्ट्स एवं विलेजइण्डस्ट्रीज में नियोजन
40	एल पी.जी. वितरण एवं सम्बन्धित सेवाओं में नियोजन
41	मार्केटिंग एवं कन्जूमर्स कोऑपरेटिव-सोसायटीज में नियोजन
42	मैटल फाउण्ड्री एवं जनरल इंजीनियरिंगउद्योग में नियोजन
43	पैस्टीसाइड सहित कैमिकल्स एवंकार्मास्यूटिकल्स उद्योग में नियोजन

44	पेट्रोल पम्प एवं संबंधित सेवाओं मैनियोजन
45	एस.टी.डी., आई.एस.डी., पी.सी.ओ. एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन
46	स्वोपर एवं सैनेटरी सेवा जो अन्य नियोजनोंमें सम्मिलित नहीं है
47	टैलरिंग कार्य तथा गारमेन्ट्स उद्योग मैनियोजन
48	टैक्सीज, ॉटो रिक्शा एवं ट्रेवलिंगऐजेन्सीज में नियोजन
49	टैक्सटाइल्स उद्योग (सभी प्रकार के)में नियोजन
50	टाइल्स निर्माण एवं पोटरीज उद्योग मैनियोजन
51	वुड वर्क्स एवं फर्नीचर निर्माण उद्योग मैनियोजन

## अनुसूची "भाग-II"

क्र.सं	अनुसूचित नियोजनों के नाम
52	(कृषि में नियोजन)- किसी भी रूप में कृषि कर्म में नियोजन, जिनके अन्तर्गत धरती को जोतना और बोना, दुग्ध उद्योग, किसी कृषि संबंधी या उद्यान कृषि संबंधी वस्तु का उत्पादन, उसकी खेती, उसे उगाना और काटना, पशुधन पालन, मधुमक्खी या कुकुट पालन और किसी कृषि द्वारा या किसी कृषि क्षेत्र पर या कृषक कर्म की अनुषांगिक रूप या उनके साथ-साथ की गई क्रियायें (जिनके अन्तर्गत वन संबंधी या काष्ठीकरण संबंधी क्रियायें, और कृषि उपज मण्डी के लिए तैयार करने और भण्डार में या मण्डी को या मण्डी तक परिवहनार्थ वाहन का परिदान करना आता है/आती है)

## पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी की दरें

अनुसूची भाग-। एवं ॥ में वर्णित नियोजनों में नियोजित श्रमिकों/कर्मचारी का वर्गीकरण	न्यूनतम मजदूरी की दरे (रूपये में )	
	प्रतिमाह	प्रतिदिन
1 अकुशल -बेलदार, चौकीदार, जमादार, हाली, वर्क्स कीपर, फराश, धोबी, भिश्ती, शिशु गृह परिचारक, स्वीपर, जलधारी, पेट्रोल लोडर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, गेंगमैन, खलासी, पशु अवरोधक, साईकिल सवार, निर्वाहक, मुख्य नाविक, पम्प परिचालक, सेनेटरी जमादार, चपरासी, कुंजी पाल, स्प्रेमैन, गैज रीडर्स, जरी वर्कर, फ़िडर, लोडर्स, बैग फ़िलर, ट्रोली फ़िलर, जिनिंग वर्क्स, पैकर्स, फ़ीडर्स, बेल लीफ्टर्स, लर्नर, लेबर, ब्लोवर, मर्सराईजिंग हैल्पर, कीर बॉयलर्स एण्ड ब्लीचर्स, डाईग ऑन एडन वर्क्स, डाईन वर्क्स, जीगर वर्कर, मैसेन्जर्स, मजदूर, वॉचमैन, डाईगमैन, वूल कलीभर्स, बिलोमशीन हैल्पर, होपरमैन, बेल पेकर्स, कलीनिंग वर्क्स, वूल केरियर, बॉबिन केरियर, ड्रायर्स, ट्रोलीमैन, घरखा घलाने वाला रीलर, पेपर लिफ्टर, पोस्टर बॉय, एक्सपेलर-कलीनर, कोलमैन, क्रेटमैन, गेटकीपर, कुक केरियर, डिकोरटीकेटर, (ग्राउण्डनट केरियर, हस्क केरियर, गनी बेग फलर, गनी बेग स्टीचर) वूल वॉशिंग मैन, स्टीचर, वूल सोरटर्स, बीयरर्स, गेटकीपर, वेजीटेबल कटर, डिलीवरी बॉय, कोटर रोलर, पिअॉन, छानने वाला, पम्पमैन, शामियाना तानने वाला, कॉटन फ़िडर श्रमिक, डेसर्स एण्ड शोपरटर्स, केरियर, हमाल, स्पिनर्स, कलीनर - होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट अधिसूचित नियोजन में नियोजक द्वारा जिवास सुविधा एवं भोजन सुविधा दिये जाने पर क्रमशः रु0 100-100 घटाकर वेतन देय	2 7410/-	3 285/-

होगा। (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु जो अद्यक्षल कार्य करते हों।)

2. अद्यक्षल - मुंशी, भू मापक, शिशु गृह प्रभारी, हैड डीलर, स्टोन इंसेज और कटर्स, हैल्पर, वायरमैन, मेट, हैल्पर, वर्कशॉप हैल्पर्स, सहायक पेन्टर्स, वे-मैन, ऑयल मैन, वॉल्वमैन, हॉफप्रेस मैन, वर्मकार, अस्सिटेन्ट कण्डकटर, हैड वॉचमैन, अस्सिटेन्ट फिटर, अस्सिटेन्ट कारपेन्टर, अस्सिटेन्ट टर्नर, अस्सिटेन्ट ग्रीजर, ऑयलमैन, अस्सिटेन्ट टिंकर, टायर फिटर, डेट फिटर, पॉलिश मैन, लेथमैन, टूल कीपर, लाईनर, वाइन्डर, टाईमैन, पैट्रीमैन, ल्यूब्रीकेटिंग अस्सिटेन्ट, जूनियर कलर्क, बैण्ड चैकर, जींगरमैन, क्लीपमैन, (स्टेन्टर) अस्सिटेन्ट स्क्रीन प्रिन्टर, वकर्स एंगेज ऑन हैण्डिलिंग, मशीन स्ट्रेचर्स, फिल्डर्स, एडन हैल्पर, हैवी मशीन हैल्पर, अस्सिटेन्ट ऑपरेटर, बिलोमैन, वैमैन, लेपमैन, वाईगमैन, डीजर, भीमसा, वारपार, फोल्डर, साईजर, पैपरमैन, कच्चा वाईण्डर, डिस्ट्रीब्यूटर, ग्राइडिंग मैन, टेकर, कोपी होल्डर, पैपर फीडर, इंकमैन, गैट कीपर एण्ड टिकिट कलेक्टर, रिवाईण्डिंग मैन, लिफ्ट ऑपरेटर, विनोअर, मेट (लेबर सुपरवाईजर), कोल्हूमैन, फायरमैन, पम्प अटेन्डेन्ट, सहायक फिटर, सहायक टर्नर, सहायक फिटरमैन, वेल्डर, सहायक मैकेनिक, जाकरी वर्कर्स, वॉशरमैन, रिकवरीमैन, पंचरमैन, डिलीवरी मैन, कोबलर, पैट्रोल डिलीवरी मैन, वे मैन कॉञ्ज बटन मेकर, चेयर नेस्टर, साईकिल रिपेयर्स, कॉटन फिडर, ब्रेकर साउथर फिनिशर श्रमिक, टेन्टर कम स्टीपर, डाईंग सिम्प्लेक्स, लूविंग इन्टील, रिंग एण्ड डब्लिंग साईजर, डाफर, रोलर, एन्टीवाला एण्ड बेलिंग, वायरमैन कम हैल्पर, सैनेट्री जमादार, हलरमैन, मोर्जर, वेटमैन, सिल्कमैन, हैण्ड डीलर, स्टोर ट्रन्सेज और कटर्स, स्वीपर (गटर सफाई वाला) तथा (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु जो अद्यक्षल कार्य करते हों।)

7722/-

297/-

3. कुशल - मैशन, मिस्त्री, स्वागतकर्ता, बढ़ई, लुहार, दर्जी, चर्मकार, मैकेनिक फिटर, लाईनमैन, पेन्टर, प्लम्बर, बर्नरर इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, सिनेमा ऑपरेटर, बागवान, मैकेनिकल डीलर्स एण्ड ब्लास्टर्स, हल्के वाहनों के ड्राईवर, भारी ड्राईवर, ट्रैक्टर चालक, भारी ट्रकों के चालक, मिही हटाने वाली मशीनों के वाहनों के ड्राईवर, ट्रैक्टर चालक, भारी ट्रकों के चालक, मिही हटाने वाली मशीनों के ड्राईवर, रोड रोलर ड्राईवर, ट्रक ड्राईवर, मोटर गाड़ियों के ड्राईवर, इंजन ड्राईवर, दस अश्वशक्तितक की मशीनों के ड्राईवर, अर्थ मूविंग इकिव्पमेन्ट ड्राईवर, ऑपरेटर्स, कलर्क, टाईपिस्ट, केशियर, पुस्तकालय लिपिक, समय पालक, स्टोर कीपर, लेखा लिपिक, सभी प्रकार के निरीक्षक (लाईसेन्स, गृहकर, सैनेट्री, खाद्य, ज्वालक आदि), पर्यवेक्षक, फायर ऑफिसर, ओवरसीयर, जलदाय पर्यवेक्षक, मुख्य सैनेट्री एवं परामर्शक, बॉयलर अटेंडेण्ट, फायरमैन, मशीनमैन, कण्डकटर्स, ड्राईवर्स, टर्नर, आर्टिजन्स, कोच बिल्डर्स, वल्केनाईजर्स, इकट्रोप्लेट्स, मैट्रोमैन, बिल्डर्स, डिचमैनपेन्टर्स औफ हैलेस्टर्स, ड्रेसर्स एण्ड सोपस्टर्स, पथ निरीक्षक, कम्पाण्डर,

8034/-

309/-

<p>ड्राफ्टमैन, माली, शिफ्ट सुपरवाईजर, मशीन फिटर, टर्नर, प्रेसमैन, वाईण्डर, जोबर कम ऑयलमैन, जोबर कम साईंजर, विलोरुम जोबर, बिल क्लर्क, बकिंग क्लर्क, एयर कंपोनेन्ट मैकेनिक, रफुगर, वटर टेलर, पॉलिशवाला, रेडियो रिपेयर्स, ऑटो मैकेनिक, शीटमेकर, फर्नीचर डिजाईनर्स, मनिहारा, बार्बर, कन्फेक्शनर्स, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट ऑटोशियन, छाता बनाने वाला, सूटकेश मैकर, मनीबेग मैकर, नर्स, इन्चार्ज, सिक्यूरिटी मैन, गोदाम कीपर, एलीवेटर ऑपरेटर, वेलप्रेस ऑपरेटर, फुलप्रेस मैन, मुकादम्स, मोल्डर, फैब्रिकेटर, टाईमकीपर, कोल्हू मास्टर, ढोल मैकर, टीन स्मिथ, सोल्डरमैन, एयरकंडीशन ऑपरेटर, एयरकूलिंग ऑपरेटर, अस्सिटेन्ट मैनेजर, इलेक्ट्रीकल सुपरवाईजर, कम्पोजिटर, ऑपरेटर-लाइनो/मोनो, डाई प्रिन्टर, कारपेन्टर, प्रुफ रीडर (चैकर), ब्लॉक प्रिन्टर, ब्लॉक मैकर, डाई स्टेम्पर, डिजाईनर, बाईण्डर, स्टीचर, कास्टर, लाइनोप्लेट प्रिन्टर, टाउचर, कातिभ, संसाज, सेग मशीन ड्राईवर, प्लेट कटर, डाईग मास्टर, कन्टेनर मैन, फोरमैन, कार्डिंग मशीन ऑपरेटर, बॉलिंग प्रेस-ऑपरेटर, जोबर, लेथ ऑपरेटर, वाईपिंग मशीन ऑपरेटर, वेलेडर, एसेम्लर, स्क्रिन प्रिन्टिंग पैन्टर्स, बॉयलर अटेन्डेन्ट, फेल्ट मास्टर कुशिंग एण्ड पिरमेन्ट, कलर मास्टर, मोटर मैकेनिक स्कूटर मैकेनिक, ग्रिलर, ड्राफ्टमैन, बल्कानाईजर, ग्राईण्डर, बोरिंगमैन, प्रेस मिस्ट्री, इलीवेटर, कूल प्रेसमैन, बेलप्रेस ऑपरेटर, मिलर या मिल मशीन ऑपरेटर, जनरेटर ऑपरेटर, क्वालिटी कन्ट्रोल मैन, पथ निरीक्षक प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला परिचर, जूनियर टैक्नीकल असिस्टेंट तथा (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु उच्च कुशल कार्य करता हो)</p> <p><b>4 उच्च कुशल (Highly Skilled),</b> स्टेनोग्राफर, एकाउण्टेंट, कम्प्यूटर ऑपरेटर, मैनेजर, सेल्स सुपरवाईजर, सेल्स रिप्रजेन्टेटिव, मेडिकल रिप्रजेन्टेटिव, केमिस्ट, पुस्तकालयाध्यक्ष, कार्यालय अधीक्षक, लैब टेक्निशियन, टेलीफोन ऑपरेटर, ई.सी.जी. टेक्निशियन, रेडियोग्राफर मैन पॉवर, फार्मसिस्ट, सीनियर टैक्नीकल असिस्टेंट, कुक, मेल/फिमेल, नर्स तथा (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु उच्च कुशल कार्य करता हो)</p>	9334/-	359/-
--	--------	-------

**टिप्पणियः:-**

1. दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी कर्मचारी को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों की गणना जिस वर्ग का वह कर्मचारी है, उस वर्ग के लिये नियत मासिक मजदूरी की दर में 26 का भाग देकर की गई है।
2. इसमें किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुये भी यदि उपर्युक्त दरों के प्रभाव में आने की तारीख पर उक्त नियोजनों में से किसी कर्मचारी की मजदूरी उपरोक्त दरों से अधिक हो तो उसके द्वारा उक्त दिन को प्राप्त की गई वास्तविक मजदूरी उसके संबंध में नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दर होगी।
3. अनुसूची में निर्दिष्ट न्यूनतम मजदूरी की दरों में निर्वाह भत्ता, बुनियादी मूल्य और सुविधाओं के एवज में रोकड मूल्य, यदि कोई हो, सम्मिलित है।
4. उक्त नियोजनों में कार्यरत कर्मचारी के लिये नियत दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन शामिल है।
5. निर्धारित सामान्य कार्य के घण्टों (8 घण्टे प्रतिदिन) से अधिक किसी कर्मचारी से कार्य करवाने पर अधिसमय (overtime) कार्य का भुगतान सामान्य मजदूरी दर की दुगुनी दर से किया जावेगा।

6. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगी।
7. 19 (प्रदान) तर्ज से कम आय के व्यक्तियों और अक्षम व्यक्तियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरें उसी श्रेणी (अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल) के वयस्क व्यक्तियों के बराबर देय हांगा।
8. श्रम ब्यूरो, शिमला से प्राप्त जयपुर अलवरएवं भीलवाडा केन्द्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (consumer Price Index) दिनांक 1.7.2021 से 31.12.2022 तक अधिसूचना में सम्मिलित कर लिये गये हैं। इस अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की वृद्धि 687 अंक है।
9. पार्ट टाईम (अंशकालीन) श्रमिक यदि 4 घण्टे से कम कार्य करता हो तो उसे निर्धारित न्यूनतम दर का 50 प्रतिष्ठत तथा 4 घण्टे से अधिक कार्य करने पर पूर्ण निर्धारित वेतन मिलेगा।
10. उक्त मजदूरी की दरें दिनांक 01.01.2023 से लागू होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

धर्मपाल सिंह,  
अतिथि श्रम आयुक्त एवं  
पदेन संयुक्त शासन सचिव,  
राजस्थान जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

## स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

क्रमांक एफ 4(1-आर)( )/एसकेराकृषि/सी/2025/1504 दिनांक: 15-1-2025

प्रतिलिपि सुयनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. रामरत अधिष्ठाता/निदेशक/क्षे. निदेशक/प्रभारी अधिकारी, स्वाकेराकृषि,
2. कुल सचिव, एसकेराकृषि, बीकानेर।
3. भू-सम्पति अधिकारी, स्वाकेराकृषि, बीकानेर।
4. कौषाधिकारी, एसकेराकृषि, बीकानेर।
5. प्रभारी अधिकारी, सिमका को वि.वि. वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. निजी सचिव कुलपति महोदय, एसकेराकृषि, बीकानेर।
5. राष्ट्राधिकारी - प्रथम, आयोजना अनुभाग/रक्षित पत्रावली।



विल्ल नियंत्रक